न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 47 / 2024

दायर दिनांक : 26 / 06 / 2024

निर्णय दिनांक : 16 / 06 / 2025

उनवान

1 सुरेंद्र सिंह पिता खुमाणसिंह निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

2 श्यामकुंवर पत्नी सुरेंद्र सिंह राजपूत निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1 कैलाश पिता खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

2 राकेश पिता खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

3 पुष्पा पत्नी खुमाण खटीक निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

4 निर्मला कुवर पत्नी कालूसिंह राजपूत निवासी कबीर जी भांगल तहसील भूपालसागर

5 नरेंद्र पिता खुमाण राजपूत निवासी ताणा तहसील भूपालसागर

6 कमलसिंह पिता कालूसिंह राजपूत निवासी कबीर जी भांगल तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में
प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित एवं पत्थरगढी करने में कोई आपत्ति नही बताई। शेष अप्रार्थीगण संख्या 1,
3 से 6 बाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र
एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर
प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा–128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख**
निरीक्षक, ताणा को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि
खाता स0 31 के हाल आ.सं. 75 रकबा 1.07 है0, आ.सं. 90 रकबा 1.54 है0, कुल किता 2 रकबा 2..61
है0 एवं खाता स0 74 के हाल आ0स0 79 रकबा 0.10 है0 आ0स0 82 रकबा 0.08 है0 आ0स0 83 रकबा
0.01 है0 आ0स0 84 रकबा 0.42 है0 आ0स0 89 रकबा 0.52 है0 कुल किता 5 रकबा 1.13 है0 तथा
खा0स0 72 के हाल आ0स0 67 रकबा 0.26 है0 आ0स0 69 रकबा 0.05 है0 आ0स0 70
रकबा 0.33 है0 आ0स0 71 रकबा 0.06 है0 आ0स0 80 रकबा 0.18 है0 आ0स0 81 रकबा 0.
09 है0 कुल किता 6 रकबा 0.97 है0 भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने
नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई
विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत
संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित
करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 1[illegible]025 को खुले न्यायालय में
सुनवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2025.07.10 14:19:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर